राजस्व अपील संख्या 354 / 2022
अनवान
लादुसिंह वगैरा बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला

दिनांक 5–7–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 123 / 2021 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त गांव अलीदासनगर मे पारित आदेश दिनांक 17–12–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील बाबत एक केवियट प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री रोशनलाल द्वारा प्रस्तुत किया, उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता एवं केवियटर अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–12–2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया । जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2021 के कम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट / हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति मे नायब तहसीलदार / तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावें । वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो / हितबद्ध लोगो की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे । इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट / हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें, साथ ही अगर आवश्यक हो तो पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें । यदि मौके पर कदीमी रास्ता चालू है तो उसे बंद नही किया जावें । उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

संभागीय आयुक्त,
जोधपुर